राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 01, 02, 03, 04, 05 व 06/2015....................जिला–जयपुर.....................................

उनवान– मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2015	खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री मदन लाल, सदस्य उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण **अपील संख्या 1735 से 1740/2014/जयपुर मैसर्स आई. टी.सी. लि., जयपुर बनाम्** वा.क.अ., **प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर** के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा, व विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 12.01.2015 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उप–राजकीय अभिभाषक की ओर से प्रकरण में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक **08.10.2014** के जरिये पूर्व में **निर्धारित समय सीमा** मय स्थगन **पूर्व पारित आदेश दिनांक 08.10.2015** की शर्तानुसार दिनांक **31.03.2015** तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरणों के निस्तारण की समयसीमा दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ायी जाती है । निर्णय सुनाया गया । 15.1.2015 (मदन लाल) सदस्य (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष	